



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17320

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44687/2025

तेज बहादुर सिंह एवं 5 अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 16 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: सैयद वाजिद अली

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील, वाद संख्या 1344/2025 कंप्यूटर वाद संख्या सी202505000001344 (योगेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम तेज बहादुर सिंह एवं अन्य) में अपर आयुक्त (न्यायिक), द्वितीय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.11.2025 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है।
2. उपरोक्त से व्यथित होकर याचियों ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. यह तर्क दिया गया है, जैसा कि रिट याचिका के पैराग्राफ-34 और 35 में कहा गया है, कि निजी प्रत्यर्थी याचियों के कब्जे में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं और वे किसी तरह याची की संपत्ति को बेचने (निस्तारित करने) का प्रयास भी कर रहे हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि यदि निजी प्रत्यर्थी बिना किसी स्वत्व (टाइटल) के संपत्ति को बेचने के अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, तो इससे मुकदमों की बहुलता बढ़ेगी और अनावश्यक बाधाएं भी उत्पन्न होंगी।
4. याचियों के अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 11 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 9 एवं 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
5. प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), द्वितीय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यथास्थिति का अंतरिम आदेश प्रदान किया गया है जो याचियों के अनुसार आज भी जारी है। यदि निजी प्रत्यर्थी विवादित संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो याची निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित आवेदन देने हेतु स्वतंत्र हैं।
6. इसके अलावा उक्त आदेश द्वारा याचियों को 01.12.2025 को या उससे पहले अपना लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। याचियों के अधिवक्ता को यह जानकारी नहीं है कि याचियों द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई जवाब दाखिल किया गया है या नहीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, दिनांक 19.11.2025 के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को याचियों को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त अपील में जवाब दाखिल करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 पूरी अपील को शीघ्रता से और अनावश्यक स्थगन दिए बिना तय करेंगे।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"